कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0)

।। कार्य विभाजन आदेश ।।

क्रमांक : 01 /एक–11–1/13, बेमेतरा, दिनांक : 02/01/2025

मैं बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ0ग0) **व्यवहार न्यायालय अधिनियम–1956 की धारा–15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–214** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला एवं सत्र खण्ड बेमेतरा में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ–

{छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्र. 19 सन् 1958) में संशोधन अनुसार – पीठासीन न्यायाधीश के पदनाम में संशोधन किया जाता है। (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल 2024, क्र. 3460/डी./21–अ/प्रारु0/छ0ग0/24)}

उक्त कार्य विभाजन आदेश दिनाँक – 01/01/2025 से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
(01)	(02)	(03)	(04)	
01.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,** बेमेतरा (छ0ग0) एवं मोटर दुर्घटना दावाधिकरण तथा विशेष न्यायाधीश, (एससी/एसटी) एक्ट, बेमेतरा	सम्पूर्ण सत्र खंड जिला बेमेतरा, राजस्व जिला बेमेतरा	01	**A.** बेमेतरा जिले के सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्याँकन **दस लाख एक रुपये व उससे अधिक हो (राशि 10,00,001/– रु0 से अधिक)।** **B.** उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामले।
			02	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ, बेमेतरा एवं साजा के निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें।
			03	धारा–09 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नही किया गया है।
			04	धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			05	सिविल जिला बेमेतरा में स्थित सभी पुलिस थाना क्षेत्र में घटित मोटर दुर्घटना से संबंध में प्रस्तुत होने वाले अथवा उन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मो.अधि. के अंतर्गत दुर्घटना मुआवजा प्रकरण, जिनका विचारण मोटरयान

				अधिनियम द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस अधिकरण द्वारा किया जा सकता है।
			06	मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त थानों के द्वारा मोटर यान अधिनियम 2022 के अंतर्गत विवेचना अधिकारी द्वारा FAR, IAR एवं DAR मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे।
			07	अर्बीटेशन एन्ड कांसिलिएशन एक्ट 1996 अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			08	**सभी सेशन ट्रायल।**
			09	**सभी आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण।**
			10	आपराधिक प्रकरणों के स्थानान्तरण के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			11	विविध दांडिक कार्यवाहियाँ।
			12	रजिस्ट्री पृ0क्रमांक — 9770/3688/XXI-B/C.G./2013, दिनांक 21/10/2013 के परिप्रेक्ष्य में **अनुसूचित जाति जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम** 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			13	**धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण (लैंगिक अपराधों से **बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** से संबंधित जमानत आवेदन पत्र को छोड़कर)।
			14	किशोर न्याय बोर्ड, बेमेतरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश / निर्णय से उद्भूत समस्त दाण्डित अपीलें धारा 101 किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015।
			15	**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा** 380 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।
			16	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें तथा **निर्वाचन याचिकाएं।**
			17	**मानवाधिकारों के उल्लंघन** से उदभूत होने वाले प्रकरण।

			18	भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–18 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेंस।
			19	लोक परिसर **(बेदखली)** अधिनियम 1971 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			20	अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय वाद जो इस आदेश के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नही किया गया है।
			21	माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण।
			22	**मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			23	म0प्र0 / छ0ग0 **नगरपालिका अधि. 1961 की धारा 20** के अन्तर्गत प्रस्तुत **चुनाव याचिकाएं**।
			24	छ0ग0 नगर पालिक अधिनियम 1956 एवं छ0ग0 नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत निर्वाचन याचिकाएं।
			25	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा से द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न **नगर पालिका अधिनियम 1961** के क्रमांक 370 की धारा 13 (5), 139 एवं 172 (3) पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत **पुनरीक्षण**।
			26	छ0ग0 **नगरपालिका अधिनियम** के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			27	केन्द्रीय अधिनियमों एवं राज्य के अधिनियमों के अन्तर्गत् प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो जिला न्यायालय या मूल अधिकारिता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय में पेश किए जाने योग्य हो और जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रस्तुत किए जायेंगे।
			28	बेमेतरा जिले से उदभुत Specific Relief Act 1963 and Specific Relief (Amendment) Act 2018 की धारा 20(बी) के अधीन प्रधान जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य प्रकरण। *(विधि एवं विधायी कार्य विभाग नवा रायपुर*

				की अधिसूचना 7782/2124/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 02.08.2019)
02.	**प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश** एवं प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावाधिकरण, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बेमेतरा	सम्पूर्ण सत्र खंड जिला बेमेतरा, राजस्व जिला बेमेतरा	01	सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा समय–समय पर स्थानान्तरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदनों का निराकरण।
			02	रजिस्ट्री पृ0 कमांक – 10160/3787/XXI-B/C.G./2013, दिनांक 30.10.2023 के परिप्रेक्ष्य में सत्र खंड बेमेतरा से उत्पन्न **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व आनुषंगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			03	रजिस्ट्री पृ0 कमांक – 5120/1931/XXI-B/C.G./2013, दिनांक 22/06/2013 के परिप्रेक्ष्य में सत्र खंड बेमेतरा से उत्पन्न **विद्युत अधिनियम–2003** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			04	**औषधी एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** एवम् संशोधित अधिनियम 2008 (Drugs & Cosmetics Act, 1940 and amended Act 2008) के प्रकरणों एवं उनसे उद्‌भूत मामले।
			05	रजिस्ट्री पृष्ठ0 क्रमांक – 9676/3648/XXI-B/C.G./2013, दिनांक 17/10/2013 के परिप्रेक्ष्य में **एन.डी.पी.एस. एक्ट** के अंतर्गत बेमेतरा के आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			06	रजिस्ट्री पृ0.क्र0–37/II-2-1/2021, बिलासपुर, दिनांक 21/01/2021 के परिप्रेक्ष्य में लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा महिलाएं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध (बलात्कार के प्रकरणों) एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।

			07	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के अतिरिक्त पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त सभी जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश / जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) / जिला एव अति. सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा उनके निर्णय एवं आदेश (आनुषंगिक एवं निष्पादन कार्यवाही) के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन कार्यवाहियां संपादित करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
			08	प्रथम अति0 मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के न्यायालय के अति. पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त सभी अति. मो.दु.दावा अधिकरण द्वारा उनके अधि निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन कार्यवाहियां संपादित करना।
			09	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण, अपील एवं मोटरयान दुर्घटना दावा के प्रकरण।
03	**द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा** एवं द्वितीय अति. मोटर दुर्घटना दावाधिकरण,	सम्पूर्ण सत्र खंड जिला बेमेतरा, राजस्व जिला बेमेतरा	01	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण, अपील एवं मोटरयान दुर्घटना दावा के प्रकरण।
			02	सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा समय–समय पर स्थानान्तरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदनों का निराकरण।
			03	**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006** की धारा 68 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में होने वाले निराकरण से उद्भूत अपील की सुनवाई।
04.	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश,	रिक्त न्यायालय	01	माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. 4517 / II-15-6/2019(FTSCs)/Checker

	विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, (पॉक्सो) राजस्व जिला बेमेतरा			बिलासपुर दिनांक 14.03.2024 के परिपालन में संबंधित न्यायालय के प्रकरणों को अति. सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. के न्यायालय में अंतरित किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय के पृ0क्र0 37/II-2-1/2021, बिलासपुर, दिनांक 21.01.2021 अनुसार FTC न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्याया. को सौंपा गया है।
05.	**जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), बेमेतरा**	रिक्त न्यायालय	**01**	माननीय उच्च न्यायालय के पृ.क्र. 37/II-2-1/2021, बिलासपुर, दिनांक 21/01/2021 अनुसार अतिरिक्त प्रभार प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को दिया गया है।
06.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा**	सम्पूर्ण खण्ड एवं राजस्व जिला बेमेतरा	**01**	नियमित व्यवहार **वाद मूल्य 5,00,001/–रु. से 10,00,000/–रु.** तक के सांपतिक वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य आवेदन पत्र।
			02	लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत **201/– से 500/– रु.** तक मूल्य के **लघुवाद** एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			03	**भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भाग–10** के अंतर्गत राजस्व जिला बेमेतरा के समस्त तहसील से उद्भूत प्रकरण।
			04	**संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधि0** के अन्तर्गत तथा हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधि0–1956 की धारा–8 के अंतर्गत प्रकरण।
			05	छत्तीसगढ़ **नगर पालिका अधिनियम 1961** की धारा 139 एवं 178 के अधीन अपीले।
			06	अन्य नियम एवं अधिनियम के अतंर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदन का निराकरण करना।
			07	संपूर्ण बेमेतरा जिले से उदभुत Specific Relief Act 1963 and Specific Relief (Amendment) Act 2018 की धारा 20(बी) के अधीन व्यवहार न्यायाधीशो की सुनवाई योग्य व्यवहार वाद प्रकरण।

				(विधि एवं विधायी कार्य विभाग नवा रायपुर की अधिसूचना 7782/2124/XXI-B/C.G./ 2019 दिनांक 02.08.2019)
			08	**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में होने वाले निराकरण की सुनवाई।
			09	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय विशेष अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण एवं स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में अल्पमात्रा के प्रकरणों का निराकरण।
			10	आर्थिक अपराधों से संबंधित प्रकरण, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचना से प्राप्त।
			11	प्रधान जिला न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल प्रकरणों का निराकरण करना।
07.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा**	रिक्त न्यायालय		––00––
08.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा**	राजस्व जिला बेमेतरा (व्यवहार न्यायालय, साजा के क्षेत्राधिकार की तहसीलों से उद्‌भूत प्रकरणों को छोड़कर) की तहसीलें बेमेतरा	01	नियमित व्यवहार **वाद मूल्य 3,00,001/–रु. से 5,00,000/–रु.** तक के सांपतिक वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य आवेदन पत्र।
			02	लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत **200/–रु.** तक मूल्य के **लघुवाद** एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			03	उक्त न्यायालय एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			04	प्रधान जिला न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल प्रकरणों का निराकरण करना।
09.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय**	राजस्व जिला बेमेतरा (व्यवहार न्यायालय, साजा	01	समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण जिनका व्यवहार **वाद मूल्य 01/–रु. से 3,00,000/–रु.** तक हो का निराकरण।

	के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बेमेतरा	के क्षेत्राधिकार की तहसीलों से उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) की तहसीलें बेमेतरा	02	उक्त न्यायालय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			03	प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना।
10.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा**	रिक्त न्यायालय		---00---
11.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा**	रिक्त न्यायालय		---00---
12.	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, साजा,**	व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले तहसीलों से उत्पन्न प्रकरण।	01	समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण जिनका व्यवहार **वाद मूल्य 01/–रु. से 5,00,000/–रु.** तक हो का निराकरण।
			02	लघुवाद न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत **500/–रु. तक मूल्य के लघुवाद** एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण अंतर्गत 500/–रु. तक मूल्य के लघुवाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			03	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			04	प्रधान जिला न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना।

1/– बेमेतरा सिविल जिला में पदस्थ न्यायाधीशों के अवकाश में रहने तथा शासकीय दौरे में रहने या किसी अन्य कार्य से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आवश्यक कार्य तथा जमानत आवेदन पत्र, सुपुर्दगी आवेदन पत्र, स्थगन तथा ब्यादेश आवेदन पत्र इत्यादि आवश्यक कार्यों का संचालन नीचे दर्शाये अनुसार कार्य निपटाये जायेंगे। **अवकाश या अनुपलब्धता की स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किये जायेंगे।**

2/– ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि में छ0ग0 व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (4) के अंतर्गत प्रस्तुत होनें वाले अत्यावश्यक व्यवहार मामलों के सुनवाई हेतु भी निम्न व्यवस्था लागू होगीः–

(अ) मेरे अवकाश पर रहने अथवा न्यायालय रिक्त रहने की स्थिति में ऐसे जमानत आवेदन पत्र जिसके संबंध में पूर्व से कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय द्वारा निराकृत हुआ हो तो ऐसे जमानत आवेदन पत्र का निराकरण उसी न्यायालय के द्वारा किया जावेगा।

(ब) मेरे दीर्घकालीन अवकाश अवधि में एक्शन प्लान/डी.सी.एम.सी. के प्रकरणों यथा पाँच वर्षों से अधिक अवधि से लंबित सिविल, क्रिमिनल एवं निष्पादन प्रकरण, एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश/लिंक अधिकारी के रुप में की जावेगी।

(स) **मेरे अवकाश पर रहने अथवा न्यायालय रिक्त रहने की स्थिति में न्यायालय प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा से संबंधित जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के द्वारा किया जावेगा।**

(द) मेरे एवं प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा तथा द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के अवकाश/अनुपस्थिति में इस जिला में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

3/– प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा एवं द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के अवकाश पर रहने अथवा रिक्त रहने की स्थिति में संबंधित न्यायालय के प्रकरणों/जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा किया जावेगा।

4/– नीचे उल्लेखित लिंक न्यायिक अधिकारियों द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/डी.एण्ड.ए./2023, बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जावेगाः–

"The concerned link Judicial Officer will take-up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witness have come to record their evidence, if possible, and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 03 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witness except the official witness."

"Apart from urgent cases and cases in which witness have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be foxed for hearing/ for the purpose for which it is already listed without fail, if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in not case it will be adjourned by the reader."

लिंक अधिकारी उच्च न्यायिक सेवा हेतु		
क्र0	न्यायालय का नाम	नाम न्यायालय या उक्त न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्रमशः न्यायाधीश आवश्यक कार्यो का संपादन करेंगे।
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा की अनु0 में	1. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा। 2. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।
02.	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा की अनु0 में	**1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा। 2. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।**
03.	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा की अनु0 में	1. प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।
लिंक अधिकारी निम्न न्यायिक सेवा हेतु		
01.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा की अनु0 में	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा। 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।
02.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा की अनु0 में	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।
03.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा की अनु0 में	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।
04.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, साजा की अनु0 में	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्याया. के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।

न्यायालय में पूर्व में लंबित प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यथावत् उन्हें न्यायालयों द्वारा निराकृत किया जावे।

नोटः–

{1} प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बेमेतरा का न्यायालय रिक्त हो जाने से उनके न्यायालय के सत्र प्रकरण एवं सिविल प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले अन्य विविध प्रकरणों की सुनवाई आगामी कार्य विभाजन आदेश प्रसारित होने तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के द्वारा किया जायेगा।

{2} द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा का न्यायालय रिक्त हो जाने से उनके न्यायालय के सत्र प्रकरण एवं सिविल प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले अन्य विविध प्रकरणों की सुनवाई आगामी कार्य विभाजन आदेश प्रसारित होने तक प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के द्वारा किया जायेगा।

{3} प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा की अनुपस्थिति व अवकाश के दौरान अत्यावश्यक मामलों का कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा व उनकी अनुपस्थिति व अवकाश के दौरान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा अत्यावश्यक मामलों का कार्य सम्पादित करेंगे।

B.K.Shastri

(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा (छ0ग0)

पृ0क्र0 / ....16.. / एक–11–1 / 13 बेमेतरा, दिनांक : 03 / 01 / 2025.

प्रतिलिपि :–

1/- माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2/- प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।
3/- द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।
4/- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा।
5/- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, बेमेतरा।
6/- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्या. के प्रथम अति. न्यायाधीश, बेमेतरा।
7/- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, साजा, बेमेतरा।
8/- प्रभारी अधिकारी, ई–कोर्ट अनुभाग बेमेतरा की ओर वेबसाईड में अपलोड हेतु।
9/- प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा।
10/- कलेक्टर, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा।
11/- कार्यालय शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, बेमेतरा।
12/- कार्यालय उपसंचालक, लोक अभियोजन, बेमेतरा।
13/- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बेमेतरा / साजा।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

14/- पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

o/c

B.K.Shastri

(बृजेन्द्र कुमार शास्त्री)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बेमेतरा (छ0ग0)